JALAUN POLICE

दिनांक- 17.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद 16 वर्षीय बालिका को बहला-फुसला कर ले जाकर गलत कृत्य करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 1,20,000/- रुपये(एक लाख बीस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्त संजय बाल्मीकि पुत्र छोटे लाल बाल्मीकि नि0 मलूपुरा कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा वादी की 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसला कर ले जाने व गलत कृत्य करने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 09.04.2023 को थाना एट पर मु0अ0सं0 46/23(वाद संख्या 63/23) धारा 363/366 व 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना एट पुलिस द्वारा दिनांक 10.04.2023 को अभियुक्त संजय बाल्मीकि उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 06.06.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 17.01.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त संजय बाल्मीकि उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1,20,000/- रूपये(एक लाख बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।